

File No. 14039/81 /2013-UTS.I  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
UTS-I Desk

North Block, New Delhi-110001  
Dated the 13 December, 2013

To

Ms. Rubi Sharma,  
D/o Shri Ashok Kumar Sharma  
R/o Rasulpur Rohta  
Tehsil & District Meerut  
Uttar Pradesh

**Sub: Application under RTI Act, 2005-Regarding**

Sir,


Please refer to your RTI application dated 27.09.2013 (received in UTS.I, MHA desk on 09.12.2013 vide letter No. A.42012/81/2013-Ad.II dated 03.12.2013 forwarded by AD.II section of MHA)

2. Since the matter doesn't pertain to this section, the information in r/o UTS-I desk, MHA may be treated as NIL.

3. The name & designation of 1<sup>st</sup> Appellate Authority is as follows:-

Shri I. S. Chahal  
Joint Secretary (UT)  
Ministry of Home Affairs  
North Block, New Delhi-110001

Yours faithfully,

  
(Anuj Sharma)  
Director(S) and CPIO  
Tel: 23092436

Copy to :

Sh. V K Rajan, Deputy Secretary(E) & CPIO ,MHA, North Block,New Delhi.

  
16/12/13

OIC

Issued with Enclosure  
Date 16/12/13  
Sign. 

C/o Director (Services) MHA  
Dy. No. 2522/11  
Date 9/12

**MOST IMMEDIATE**  
**RTI MATTER**

UTSI Desk/MHA  
Dy. No. 192-RTI  
Date 9/12/13

File No.A.42012/81/2013-Ad.II  
Government of India / Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

New Delhi the 3<sup>rd</sup> December, 2013

To

Ms. Rubi Sharma  
D/o Shri Ashok Kumar Sharma  
R/o Rasulpur Rohta  
Tehsil & District Meerut  
UTTAR PRADESH

Subject:- Information sought by Ms. Rubi Sharma, D/o Shri Ashok Kumar Sharma R/o Rasulpur Rohta, Tehsil & District Meerut, UP under Right to Information Act, 2005 – reg.

Sir,

I am directed to refer to your application dated 27-09-2013-2013 received in this Division on 08-11-2013 vide RTI Section's OM No.A-43020/01/2013-ETI dated 29-10-2013 seeking information and detailed reply with regard to a Public Notice reported to have been displayed on a Plot in Meerut (UP) by one Shri Naresh Chand Sharma, S/o Shri Surajbal Sharma, a person alleged to be an MHA Official. It may be stated that Ad.II Section is dealing with the Non-Gazetted Officials of MHA (Group C & Group B) only and no such official is working under the administrative control of Ad.II Section. As such, the information sought under the RTI Act, 2005 in this regard may please be treated as NIL.

2. However, some information may be available with other Divisions also. Therefore, your application is also forwarded to CPIOs of MHA for providing information, if available with them, to you.

3. The appellate authority in respect of this matter under the RTI Act is Shri Satpal Chauhan, Joint Secretary (Admn./C&PG), Ministry of Home Affairs, Room No.194, North Block, New Delhi-110001, (Tel.No.23093178), and the appeal, if any, can be made within 30 days of the issue of this reply.


Yours faithfully,

  
[ V.K. RAJAN ]  
Deputy Secretary (E) & CPIO  
Tel.No.2309 4376

Copy to:-

1. All CPIOs in Divisions of MHA [except Admn. Division, Dir (Pers)/DS (Pers).] – with enclosures.
2. RTI Cell – with reference to their OM cited above.

  
[ V.K. RAJAN ]  
Deputy Secretary (E) & CPIO

  
9/12  
M. Joshi



4201a/81/2013-Ad. 2

Sl. No. 1 (R)

आर टी आई मामला/सम

स. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\*\*\*\*\*

667-H  
11/11/2013

नई दिल्ली, दिनांक 29/10/2013

कार्यालय चापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री शुबी शर्मा का आवेदन।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री शुबी शर्मा के दिनांक 27/9/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक 01/10/2013 को प्राप्त) को प्रशासन प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 7/10/2013 की रसीद सं. 27090 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

- (1) निदेशक (कार्यालय) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (2) उपसचिव (कार्यालय), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (3) अनुभाग सहायकारी (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (4) अनुभाग सहायकारी (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

श्री/श्रीमती/सुश्री शुबी शर्मा, (पुत्री श्री अशोक कुमार)

ग्राम - शुबलपुर रोडरा, तहसील जिला - मेरठ

मेरठ - उत्तर प्रदेश

(हालफ्त-8), जे. लुलसी कालोनी, शाली नं-2, फकरखेड़ा, मेरठ

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

989  
08/11/13

81-1



01 OCT 2013  
1689/SL  
के. आर. ... Block

मेवा में ,

श्री मानू जन सूचना अधिकारी / सचिव गृह मंत्रालय

भारत सरकार , नई दिल्ली ।

विवरण :- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने

हेतु :-

§ 18. प्रश्न :- क्या आपके मंत्रालय द्वारा ग्राम रसूलपुर रोहटा तह0 व जिला मेरठ में स्थित भूमि खसरा संख्या- 45, खसरा संख्या- 554अ, ब 556ब, व खसरा संख्या- 557 व , 554ब क्या विवादित जमीन है , और मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, के सम्बन्ध में एक जन साधारण सूचना आपके विभाग में कार्यरत प्रभारी निरिक्षक अधिकारी नरेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. सूरजबल शर्मा के माध्यम से प्रकाशित कराई है , जिसमें नरेश चन्द्र शर्मा ने इस सूचना को प्रकाशित कर यह भ्रान्ति पैदा की है कि जैसे गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश से यह सूचना प्रकाशित की गयी है । इसका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जावे ।

A-1-I  
A-1-II  
Dir (Pun)  
DS (Pun)

§ 20. यदि आपके मन्त्रालय द्वारा नरेश चन्द्र शर्मा को इस जन सूचना को प्रकाशित करने के लिये अधिकृत नहीं किया तो उन्होंने गृह मन्त्रालय भारत सरकार , आज्ञा से , सूचना प्रकाशित कर अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रान्ति जन साधारण के लिये क्यों उत्पन्न की है , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा से स्पष्टीकरण लिया जावे , तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे । जिसके सम्बन्ध में जबाब द्वारा प्राथी को सूचित किया जावे ।

Ruby Sharma



१३१. यह कि नरेश चन्द्र शर्मा से वह दस्तावेजी साक्ष्य मांगे जावे कि उपरोक्त वर्णित जमीन कैसे विवादित है । और किस न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है । यदि वह आपको उपलब्ध नहीं कराते तो मिथ्या तथ्यों गृह मन्त्रालय भारत सरकार के नाम का सहारा लेकर यह जन सूचना प्रकाशित की , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा का स्पष्टीकरण लिया जावे , तथा जो भी कार्यवाही नरेश चन्द्र शर्मा के विरुद्ध की जावे । की सूचना अविनिम्ब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थीन को उत्तर प्रेषित करते हुये उपलब्ध करायी जावे ।

दिनांक:- 27-09-2013

प्रार्थनी

*Ruby Sharma*

संलग्नक:-

रुबी शर्मा पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा

=====

1- पौ० ओ० अंकन 10/-रु०

नि० ग्राम रसूलपुर रोहटा , पर० तह० व

सं० - 17 F-841722

जिला मेरठ । हाल पता- 81 जे० तुलसी

दिनांक :- 27/9/13

कालौनी, गली नं० -2, कंकरखेडा, मेरठ ।

2- सूचना जन साक्षारण के प्रकाशन

बोर्ड की पत्रों ।



**सूचना**

सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है।  
न विवादित है तथा कोर्ट के विचाराधीन है।  
कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई भी व्यक्ति  
साधर से खरीदने की चेष्टा ना करें। आज्ञा की  
कसौटी पर व्यक्ति विशेष खुद जिम्मेदार होगा।

**साक्षात्कार**

नरेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री सूरजबल शर्मा  
निरीक्षक अधिकारी, ग्रह मंत्रालय भारत सरकार

